




सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
वर्ष 2023-2024



कार्यालय

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान  
6-सी, सुरक्षा भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004  
फोन : 0141-2709659, 2709897

E-mail: [rajfab@rajasthan.gov.in](mailto:rajfab@rajasthan.gov.in)

Website: [rajfab.rajasthan.gov.in](http://rajfab.rajasthan.gov.in)

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
2023 - 2024

विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना करवाना है। इन नियमों के परिपालन द्वारा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थिति एवं कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य घण्टे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन आदि को विनियमित करना है। इसके अलावा इस विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में कारखाना मालिकों एवं कामगारों को तकनीकी सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है एवं सामयिक सलाह भी दी जाती है। आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के सुझाव दिये जाते हैं।

राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को कारखाना अधिनियम, 1948 बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं इनके अंतर्गत बने नियमों के संबंध में पूर्ण वर्गीकृत व सुव्यवस्थित जानकारी देने एवं आवेदन करने हेतु विभागीय वेबसाइट [rajfab.rajasthan.gov.in](http://rajfab.rajasthan.gov.in) प्रकाशित की हुई है ताकि विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों, अनुज्ञा-पत्रों, प्रमाण-पत्रों आदि प्राप्त करने में उद्यमियों को समुचित मार्गदर्शन मिल सके तथा स्वीकृतियों, अनुज्ञापत्र एवं प्रमाण पत्र त्वरित गति से प्राप्त हो सकें।

उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा कारखाना लाईसेंस का **AutoRenewal** किया जा रहा है एवं विभाग के कार्य को विकेंद्रित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत 150 श्रमिकों तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के कारखाना भवन के नक्शे अनुमोदन एवं कारखानों के लाईसेंस संशोधन संबंधित कार्य उप मुख्य निरीक्षक स्तर के क्षेत्रीय कार्यालयों- जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं भीलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है।

## 1. विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य निरीक्षक हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों के लिये कारखाना प्रबन्धन से कारखाना अधिनियम, 1948, बॉयलर अधिनियम, 1923, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधानों तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना कराई जाती है। इस विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 210 पद सृजित हैं। **परिशिष्ट-1**

जयपुर स्थित मुख्यालय पर मुख्य निरीक्षक के अधीन एक पद उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, एक पद उप मुख्य निरीक्षक कारखाना (रसायन), तीन पद वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स व एक पद निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) का है। एक-एक पद वरिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रोग्रामर, सहा. सांख्यिकी अधिकारी, निजी सचिव व संस्थापन अधिकारी का स्वीकृत है।

विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यालय परिसर में स्थापित है जो क्रमशः वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) एवं उप निदेशक के अधीन संचालित हैं।

श्रमिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्र निस्तारण हो सके इस हेतु राज्य में 21 स्थानों पर विभाग के कार्यालय स्थापित हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा एवं भीलवाड़ा मुख्यालयों पर उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के कार्यालय स्थापित हैं। इसी प्रकार अजमेर, पाली, श्रीगंगानगर, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा एवं मदनगंज-किशनगढ़ में वरिष्ठ निरीक्षक एवं बून्दी, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, बालोतरा, मकराना एवं सिरोही में निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के कार्यालय संचालित हैं।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना का विवरण **परिशिष्ट-2** में दर्शाया गया है।

कारखानों में जोखिमपूर्ण रसायनों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिये कारखानों का निरीक्षण एवं कारखाना प्रबन्धन को आवश्यक मार्गदर्शन करने हेतु विभाग में एक उप मुख्य निरीक्षक (रसायन) जो कि रसायनिक अभियांत्रिकी की योग्यता प्राप्त है, जयपुर (मुख्यालय) पर व एक वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं एक निरीक्षक कारखाना (रसायन) कोटा में पद सृजित हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य जाँच एवं व्यवसायजनित बीमारियों पर निगरानी हेतु एक निरीक्षक (मेडिकल) का पद जयपुर मुख्यालय पर सृजित है।

विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली रखने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के अधीन रखा गया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीन क्षेत्रों में कार्यों के नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार एवं दायित्व निर्वहन के लिये प्राधिकृत हैं।

## विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

### श्रम कानूनों की पालना

विभाग का मुख्य कार्य कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 बॉयलर अधिनियम, 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की अनुपालना करवाना है।

विभाग द्वारा नये स्थापित होने वाले कारखानों का पंजीकरण किया जाता है

तथा पंजीकृत निर्माणियों को प्रतिवर्ष अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमी यदि चाहें तो लाईसेंस का दस वर्ष तक के लिये एक साथ नवीनीकरण करवा सकता है। राज्य में वर्ष 2023 (दिसम्बर तक) में 721 नये कारखानों का पंजीकरण किया गया है। इन कारखानों में लगभग 64644 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। राज्य में कुल 11014 पंजीकृत कारखाने कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 883179 श्रमिक नियोजित हैं। **परिशिष्ट-3**

राज्य में संस्थापित कारखानों एवं बॉयलर्स की सुरक्षा को प्रमुखता देते हुये विभाग के अधिकारियों द्वारा इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2023 (दिसम्बर तक) 4176 कारखानों के निरीक्षण किये गये।

वर्ष 2023 (दिसम्बर तक) में कारखाना अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के उल्लंघन स्वरूप 40 कारखाना प्रबन्धनों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये गये।

पूर्व के वर्षों के विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में से 35 प्रकरण निर्णित हुए। जिनमें से 08 प्रकरणों में अपराध शमन किया गया, जिनमें राज्य सरकार द्वारा रूपये 14,00,000/- का जुर्माना किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा रूपये 3,72,500/- का जुर्माना किया गया।

राज्य में स्थापित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों में काम आने वाले रसायनों के भण्डारण, प्रयोग तथा इनकी निर्माण प्रक्रियाओं से प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे आग, विस्फोट एवं विषैली गैस रिसाव आदि हो सकती है। ऐसी सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभाग द्वारा इन कारखाना प्रबंधकों से आपात योजना तैयार करवाई जाती है, जिससे कारखाना परिसर एवं परिसर के बाहर होने वाले असर को नियंत्रित किया जा सके। कारखाना प्रबंधन द्वारा इन आपात योजनाओं का समय-समय पर अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि संकट के समय कारखाना प्रबंधकों द्वारा

प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को किस प्रकार प्रयोग में लिया जावेगा, सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है।

बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों की अनुपालनार्थ राज्य में लगने वाले सभी बॉयलर्स का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होता है। राज्य में वर्तमान में **1987** पंजीकृत बॉयलर कार्यरत हैं। वर्ष 2023 में (दिसम्बर तक) **170** नये बॉयलर्स का पंजीकरण किया गया है। बॉयलर्स के सुरक्षित उपयोग के उद्देश्य से सभी बॉयलर्स का विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है।

### सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

औद्योगिक श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा जयपुर में सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें कारखानों में कार्यरत कर्मकारों, सुपरवाइजरों, सुरक्षा अधिकारियों, प्रबन्धकों, मालिकों एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। विभाग नवीनतम श्रव्य-दृश्य उपकरणों की सहायता से नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

सुरक्षा संग्रहालय में सुरक्षा सम्बन्धी मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शित किये हुये हैं। उक्त संग्रहालय में पुस्तकालय की भी स्थापना की हुई है, जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी तकनीक की पुस्तकों का संकलन है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जयपुर में एवं अन्य औद्योगिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित कर औद्योगिक सुरक्षा पर जानकारी दी जाती है।

वर्ष 2023 (दिसम्बर तक) सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा **56** सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की गई, जिनमें **1481** प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये।

विभाग द्वारा सिलिकोसिस बीमारी के सम्बंध में जागरूकता हेतु **26** कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें **1170** प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये एवं हैजार्डस एवं ई-वेस्ट हैण्डलिंग करने वाले कारखानों के प्रबन्धन व श्रमिकों के लिए **03** वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें **380** कारखाना प्रतिनिधि/श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

श्रमिकों को निःशुल्क सुरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कारखानों में स्थित **01** प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी क्षेत्र में **04** सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवं **01** प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमोदित किया है।

### औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला

राज्य में संस्थापित उद्योगों में कार्य स्थल पर स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य में व्यवसायजनित बीमारियों की रोक-थाम हेतु विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की हुई है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से राज्य में विभिन्न कारखानों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु कार्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा राज्य में स्थित विभिन्न रसायनिक कारखानों में रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु वर्ष 2023 (दिसम्बर तक) में **230** कारखानों से **1150** वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूने एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण किया गया तथा जिन वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूनों को निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया गया उन प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिये गये तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करवाया गया।

## विभागीय आय

कारखाना अधिनियम एवं बॉयलर अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क व बॉयलर के पंजीयन एवं निरीक्षण शुल्क से गत पाँच वर्षों में विभाग में हुई आय का विवरण :-

कारखाना अधिनियम, 1948 एवं बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत आय	
वर्ष	(रूपये लाखों में)
2019-2020	1596.04
2020-2021	1720.69
2021-2022	1758.66
2022-2023	2085.18
2023-2024 (दिसम्बर, 2023 तक)	987.74

## वित्तीय प्रबन्धन

विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण		
मद 2023-2024	बजट प्रावधान BE 2023-2024 (लाखों में)	व्यय दिसम्बर, 2023 तक (लाखों में)
स्टेट फण्ड (स्कीम)	122.33	00
स्टेट फण्ड (नॉन स्कीम)	1455.33	1146.95



## कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की संरचना

## मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स

उप मुख्य निरीक्षक (मुख्या.)	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	3 वरिष्ठ निरीक्षक	निरीक्षक (मेडिकल)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	निजी सचिव	प्रोग्रामर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	संस्थापन अधिकारी
-----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-----------	------------	-------------------------	------------------

## प्रदेश में स्थित कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के कार्यालय

क्रम सं.	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
1	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	कोटा
2	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जोधपुर
3	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	उदयपुर
4	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अलवर
5	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जयपुर
6	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भीलवाड़ा
7	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बीकानेर
8	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	श्रीगंगानगर
9	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	किशनगढ़
10	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अजमेर
11	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	पाली
12	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भिवाड़ी
13	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	चित्तौड़गढ़
14	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बांसवाड़ा

क्रम सं.	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
15	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भरतपुर
16	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बूंदी
17	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बालोतरा
18	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सिरोही
19	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	मकराना
20	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	हनुमानगढ़
21	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सीकर
22	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) (औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला)	जयपुर
23	उप निदेशक (सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र)	जयपुर

## जिलेवार पंजीकृत कारखानें एवं उनमें औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	पंजीकृत कार्यरत कारखानें एवं दैनिक औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या	
		कुल कारखाने	औसतन नियोजित श्रमिक
1	अजमेर	640	23522
2	अलवर	251	21801
3	अनूपगढ़	150	5445
4	बालोतरा	129	6725
5	बांसवाड़ा	44	14644
6	बारां	17	4921
7	बाड़मेर	26	3491
8	ब्यावर	161	20338
9	भरतपुर	135	4828
10	भीलवाड़ा	698	67579
11	बीकानेर	301	16791
12	बून्दी	125	5097
13	चित्तौड़गढ़	157	30374
14	चूरू	104	1814
15	दौसा	66	1067
16	डीडवाना-कुचामन	68	1908
17	डीग	11	139
18	धौलपुर	52	2913
19	दूदू	46	2871
20	डूंगरपुर	10	1568
21	गंगापुरसिटी	8	106
22	हनुमानगढ़	659	24294
23	जयपुर	1663	138171
24	जयपुर ग्रामीण	853	59680
25	जैसलमेर	39	3221

क्र. सं.	जिले का नाम	पंजीकृत कार्यरत कारखानों एवं दैनिक औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या	
		कुल कारखाने	औसतन नियोजित श्रमिक
26	जालौर	7	449
27	झालावाड	18	5209
28	झुंझुनू	55	3859
29	जोधपुर	475	25434
30	जोधपुर ग्रामीण	347	23139
31	करौली	18	390
32	केकडी	26	530
33	खैरथल-तिजारा	1374	167661
34	कोटा	240	22145
35	कोटपुतली-बहरोड	352	65994
36	नागौर	81	4999
37	नीम का थाना	62	4985
38	पाली	317	16846
39	फलौदी	60	2725
40	प्रतापगढ़	5	65
41	राजसमंद	73	5645
42	सलूमबर	2	59
43	सांचौर	16	727
44	सवाईमाधोपुर	13	433
45	शाहपुरा	32	2865
46	सीकर	172	8415
47	सिरोही	117	11173
48	श्रीगंगानगर	267	14085
49	टोंक	97	4343
50	उदयपुर	375	27696
	<b>योग</b>	<b>11014</b>	<b>883179</b>

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (31 दिसम्बर, 2023)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी	रिक्त पदों की संख्या
1	मुख्य निरीक्षक	1	1	—
2	उप मुख्य निरीक्षक	7	7	—
3	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
4	वरिष्ठ निरीक्षक	12	12	—
5	वरिष्ठ निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
6	निरीक्षक	19	7	12
7	निरीक्षक (रसायन)	1	—	1
8	निरीक्षक (मेडिकल)	1	1	—
9	उप निदेशक	2	1	1
10	सहायक निदेशक	1	1	—
11	निजी सचिव	1	—	1
12	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	—	1
13	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम	1	1	—
14	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	—	1
15	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1
16	संस्थापन अधिकारी	1	—	1
17	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	—
18	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	6	4	2
19	मुख्य प्रारूपकार	1	—	1
20	निजी सहायक —I	4	—	4
21	निजी सहायक —II	5	5	—
22	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	14	—
23	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	—
24	सांख्यिकी निरीक्षक	3	3	—
25	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	1	1	—
26	प्रयोगशाला सहायक	1	1	—
27	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	2	2	—
28	कनिष्ठ लेखाकार	2	—	2
29	वरिष्ठ सहायक	22	21	1
30	कनिष्ठ सहायक	39	22	17
31	रिकार्ड कीपर लाइब्रेरियन	1	—	1
32	प्रोग्रामर	1	1	—
33	सहायक प्रोग्रामर	3	3	—
34	सूचना सहायक	5	5	—
35	वाहन चालक	1	—	1
36	जमादार	3	—	3
37	चतुर्थ श्रेणी/बायलर हैल्पर	39	20	19
38	बागवान	1	1	—
	<b>योग</b>	<b>210</b>	<b>140</b>	<b>70</b>

**विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना**

क्र. सं.	विभागीय उपलब्धियाँ	विगत तीन वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियाँ			आलोच्य वर्ष की उपलब्धियाँ
		वर्ष-2020	वर्ष-2021	वर्ष-2022	
1.	नये पंजीकृत कारखाने	634	600	723	वर्ष-2023 (दिसम्बर, 2023 तक)
2.	कारखानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या	41153	51084	65250	64644
3.	कारखानों के निरीक्षण	3841	3894	4020	4176
4.	नये पंजीकृत बॉयलर	113	145	134	170
5.	कारखानों से प्राप्त किये गये वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूने	कारखानों की संख्या	208	223	230
		नमूने	1079	983	1206
6.	सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	102	111	56
		प्रशिक्षणार्थी	1418	2525	1206
7.	सिलिकोसिस से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	46	64	26
		प्रशिक्षणार्थी	296	1462	1780
8.	हैजार्डस एवं ई-वेस्ट हैण्डलिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	27	11	03
		प्रशिक्षणार्थी	1274	781	375
					380


## आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा विभाग से सम्बन्धित निम्न नवीन नीतिगत निर्णय लिये गये हैं जिनकी विभाग द्वारा निम्नानुसार क्रियान्विति की गयी है :-

क्रम सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति
1.	विभागीय कार्य को ऑनलाइन करना।	<p>नवीनतम Business Reform Action Plan के अनुसार Ease of Doing Business हेतु कारखानों एवं बॉयलर्स के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं नक्शे अनुमोदन तथा अन्य विभागीय कार्य को ऑनलाइन सरलीकृत प्रकार से किये जाने के लिये वेब एप्लीकेशन RajFAB लागू कर दी गयी है। विभाग द्वारा कारखानों व बॉयलर्स के पंजीकरण, नवीनीकरण व नक्शे अनुमोदन का कार्य, बॉयलर अटैण्डेन्ट परीक्षा आदि कार्य ऑनलाइन ही किये जा रहे हैं तथा कोई भी आवेदन डाक अथवा पत्रवाहक से स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। कारखाना लाईसेंस के Auto Renewal की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। विभाग की सेवाओं का ई-मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है।</p> <p>कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, श्रम विभाग तथा राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल के साथ केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) के माध्यम से सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम (SWCS) पर आवंटित करने की प्रणाली लागू कर दी गई है। <b>(परिशिष्ट-4)</b></p>
2.	विभागीय कार्य के लिए समय सीमा निर्धारण।	विभाग द्वारा किये जा रहे पंजीयन, नवीनीकरण, नक्शे अनुमोदन के कार्यों को समयबद्ध किये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।
3.	राज्य सरकार की One Stop Shop सेवा	राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देन हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना <b>"One Stop Shop Scheme"</b> के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित कार्यों के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

## ऑन-लाइन वेब एप्लीकेशन

RajFAB (rajfab.rajasthan.gov.in)



विभागीय कार्य को समयबद्ध, पारदर्शित एवं सरलीकृत तरीके से किये जाने के लिए एक विस्तृत वेब एप्लीकेशन **RajFAB** बनाई गई है जो कि [rajfab.rajasthan.gov.in](http://rajfab.rajasthan.gov.in) पते पर स्थापित है।

## विगत एक वर्ष में सम्पादित प्रमुख कार्य एवं नवाचार

### कारखानों का पंजीयन

- विभाग द्वारा **721** नये कारखानों का पंजीयन किया गया है।

### सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

- श्रमिकों को निःशुल्क सुरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कारखानों में स्थित **01** प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी क्षेत्र में **04** सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवं **01** प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमोदित किया है।
- कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभाग के सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र का नई तकनीक के आधार पर स्वचालित मॉडल/कम्प्यूटर प्रशिक्षण कियोस्क व ऑडियो-वीडियो माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का पुनरोद्धार किया गया है।

- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा 56 कार्यक्रमों में 1481 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाकर लाभान्वित किया है।

### BRAP में EoDB की शत प्रतिशत पालना

- **Business Reform Action Plan, 2022** की गाईडलाइन्स के अनुसार विभाग से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं की शत प्रतिशत अनुपालना की गई है।

### Auto Renewal of Factory License

- उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा **EoDB** के तहत कारखानों के लाइसेंस के लिए **Auto Renewal** की सुविधा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें बिना विभागीय हस्तक्षेप के स्वयं द्वारा ही नवीनीकृत कारखाना लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है। दिसम्बर, 2023 तक 1235 कारखानों के लाइसेंस का Auto Renewal किया जा चुका है।

### One Stop Shop Scheme

- राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना "**One Stop Shop Scheme**" के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल कर एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की उद्योग विभाग में प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को अपनी उपस्थिति एवं आवंटित कार्यों के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
- विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी उद्योग विभाग में प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को उपस्थिति देता है।

### विभाग की सर्विसेज की ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्धता

विभाग की निम्न नागरिक सेवाओं का ई-मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। इन सेवाओं को ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होने से प्रत्येक नागरिक को विभाग से सम्बन्धित कोई भी कार्य करने में आसान तरीके से सुविधा उपलब्ध है।

- कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवन के नक्शे स्वीकृति एवं अनुमोदन
- कारखानों का पंजीयन
- कारखाना लाइसेन्स का नवीनीकरण
- कारखानों का निरीक्षण
- बॉयलर का निरीक्षण एवं नवीनीकरण
- बॉयलर का निरीक्षण एवं पंजीयन
- भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत, मरम्मतकर्ता/ईरेक्टर, वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति/अनुमोदन।
- कारखाना अधिनियम व नियम के तहत प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलैस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन।

### विभागीय कार्यों का समय सीमा में निस्तारण

- विभाग द्वारा कारखानों के पंजीयन, नवीनीकरण एवं बॉयलर के पंजीयन, नवीनीकरण व स्टीम पाईपलाइन, कारखानों के नक्शे अनुमोदन का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 की अनुपालना में उक्त समस्त कार्य समय सीमा में निस्तारित किये जा रहे हैं।

### नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सहयोग

- राज्य सरकार द्वारा नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिये RMSME Act, 2019 जारी किया गया। जिसकी पालना में विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत Acknowledgement Certificate प्राप्त करने वाले नये उद्योगों को तीन वर्ष तक कारखाना एवं बॉयलर्स के निरीक्षण व अनुमोदन से छूट प्रदान कर दी गई है।

### कारखाना सुरक्षा पुरस्कारों का वितरण

- 4 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। उक्त योजना में राज्य के लगभग **258** कारखाना ने भाग लिया एवं कार्यक्रम

के दौरान उत्कृष्ट स्वतः अनुपालना करने वाले कारखानों को सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

### हैजार्डस वेस्ट एवं ई-वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण

- विभाग द्वारा Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 एवं E-Wastes Management Rules, 2016 के नियम क्रमशः 5(2) एवं 12(2) की अनुपालना में श्रमिकों के पंजीयन हेतु राजफैब वेब एप्लीकेशन पर मोड्यूल उपलब्ध है, जिस पर दिसम्बर, 2023 तक Hazardous Wastes Handling से संबंधित **823** संस्थानों द्वारा **4072** श्रमिकों का एवं E-Wastes Handling से संबंधित **26** संस्थानों द्वारा **121** श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

### हैजार्डस वेस्ट/ई-वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य जाँच एवं सुरक्षा प्रशिक्षण

- विभाग द्वारा Hazardous Wastes Handling एवं E- Wastes Handling करने वाले कारखानों के प्रबंधन व श्रमिकों की वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें **380** कारखाना प्रतिनिधि/ श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

### Feedback Mechanism

- विभाग द्वारा राजफैब वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवा पर End user Feedback Mechanism लागू किया गया है। जिसमें कारखाना एवं बॉयलर्स के पंजीयन एवं नवीनीकरण आदि सेवाओं के लिए प्रतिक्रिया एकत्रित की जाती है:-

- दिनांक 31.12.2023 तक प्राप्त Feedback निम्नानुसार है

Excellent 9935

Very Good 1167

Good 1212

- उपरोक्त 98.34% से अधिक नागरिक विभाग की सेवाओं से संतुष्ट है।

-----

## Exemption

MSME ईकाईयों को 5 वर्ष के लिए पंजीयन/निरीक्षण से छूट

## Disposal

प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण

## Auto Renewal

कारखानों के लाइसेंस का Auto Renewal

